

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बनाम

राधनाशरण क...
125 120/19

सूरजकुल

मुकदमा संख्या/वर्ष

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	01/02/24	<p>पत्रावली पेशा हुई। अधिवक्ता वादी तथा वादी स्वयं भी अनुपस्थित। वादी व वादी अधिवक्ता को म्यादात्मक रूप में कारदार आवाज लगावें गई। कप कार आवाज लगावें के उपरान्त वादी तथा अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।</p> <p>पत्रावली का उपलक्षण किया गया। पत्रावली आदेश दिनांक 22/3/23 के क्रम में साक्ष्यवादी हुए निमित्त है। जो आज दिनांक तक प्रस्तुत भी नहीं की गई है। एवं कप निमित्त नथीरव पेशा या वादी कप अधिवक्ता अनुपस्थित भी है।</p> <p>कतः वाद वादी अधिम हाजुरी अधिम परकी में खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फेरल बुतार दोफर करीमकी को कम है। वाद नथीरव शखिल शतर है। निमित्त सुनया गया।</p>

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)